न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

ı0
'22

तारीख दायरा
25.08.2022

तारीख फैसला (2)
14.2.23

ीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)
गीता बाई पुत्री गोविन्दलाल उर्फ छीत्या बाई पुत्री गोमदा जाति मीना निवासी ग्राम नीमली तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

ाण की और से :– श्री बलराम शर्मा एडवोकेट
ादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

ो ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादनी व उसके भाई बहिनों के शामलाती खाते व कब्जे ा व खाते में ग्राम नीमली के खसरा संख्या 353/141 की 1.02 है0 स्थित चली आ रही है। यह कि ो व उसके भाई बहिनों के शामालाती खाते व कब्जे काश्त व खाते की खाता संख्या 17 पर खसरा 54 की 0.13 है0, 85 की 0.91 है0, 97 की 0.23 है0, 143 की 1.16 है0, 241 की 0.73 है0, 248 की है0, 249 की 0.27 है0 कुल किता 7 रकबा 3.70 है0 भूमियां ग्राम नीमली पटवार हल्का खेडली तवरान ोल दीगोद में स्थित चली आ रही है। यह कि वादनी का नाम गीता बाई है तथा पिता का नाम न्दलाल है। किन्तु उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम गीता बाई के स्थान छीत्या बाई पिता का नाम गोविन्दलाल के स्थान पर गोमदा दर्ज हो गया है जो गलत है। जबकि वादनी के नाम चन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड में भी वादनी का गीता बाई व पिता का गोविन्दलाल अंकित है।

यह कि राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम छीत्या बाई व पिता का नाम गोमदा अंकित होने कारण वादनी को अपने खाते की भूमि पर त्रण आदि की सुविधा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना ना पड रहा है। यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का गीता बाई के स्थान छीत्या व पिता का नाम गोविन्दलाल के गोमदा दर्ज कर दिया है जो गलत है।

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

(2)

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम छीत्या बाई के स्थान पर ाई व पिता का नाम गोमदा के स्थान पर गोविन्दलाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना ाक है। इस संबंध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 17.08.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई नही दियाय और मना कर दिया जिस कारण यह वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः वादनी ने निवेदन किया है कि कि ग्राम नीमली पटवार हल्का खेडली तवरान के खसरा 353/141 की 1.02 है0 तथा खसरा नम्बर 54 की 0.13 है0, 85 की 0.91 है0, 97 की 0.23 है0, 143 .16 है0, 241 की 0.73 है0 248 की 0.27 है0, 249 की 0.27 है0 कुल किता 7 रकबा 3.70 है0 के व रिकार्ड में वादनी का नाम छीत्या बाई के स्थान पर गीताबाई अथवा गीता बाई उर्फ छीत्या बाई व का नाम गोमदा के स्थान पर गोविन्दलाल अथवा गोविन्दलाल उर्फ गोमदा दर्ज किये जाने और व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। ादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। ीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादनी का नाम छीत्या बाई पुत्री गोमदा के स्थान पर गीताबाई पुत्री न्दलाल दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का ोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नीमली पटवार हल्का खेडली तवरान के खसरा र 353/141 की 1.02 है0 तथा खसरा नम्बर 54 की 0.13 है0, 85 की 0.91 है0, 97 की 0.23 है0, 143 1.16 है0, 241 की 0.73 है0 248 की 0.27 है0, 249 की 0.27 है0 कुल किता 7 रकबा 3.70 है0 के स्व रिकार्ड में वादनी का नाम छीत्या बाई पुत्री गोमदा के स्थान पर छीत्या बाई उर्फ गीता बाई पुत्री दा उर्फ गोविन्दलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। ुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर र से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.2.23 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलेक्टर
दीगोद

डिकी मुकदमा

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

(3)

उनवान

ीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

गीता बाई पुत्री गोविन्दलाल उर्फ छीत्या बाई पुत्री गोमदा जाति मीना निवासी ग्राम नीमली तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

गण की और से :– श्री बलराम शर्मा एडवोकेट

(प्रतिवादीगण)

ागण की और से :– श्री बलराम शर्मा एडवोकेट

वादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस जिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम नीमली पटवार हल्का खेडली तवरान के खसरा नम्बर 353/141 की 2 है0 तथा खसरा नम्बर 54 की 0.13 है0, 85 की 0.91 है0, 97 की 0.23 है0, 143 की 1.16 है0, 241 0.73 है0 248 की 0.27 है0, 249 की 0.27 है0 कुल किता 7 रकबा 3.70 है0 के राजस्व रिकार्ड में ानी का नाम छीत्या बाई पुत्री गोमदा के स्थान पर छीत्या बाई उर्फ गीता बाई पुत्री गोमदा उर्फ वेन्दलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है।तद्नुसार की जारी की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)